राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– **2065 / 2024**

डॉ. संजीव कुमार शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर राजस्थान।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश दिनांक :– 03.07.2024

समक्ष :– **अनन्त भंडारी ,सदस्य(न्यायिक)**
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता श्री अशोक बंसल उपस्थित।
2. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की अपीलार्थी की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
3. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी सह आचार्य (Nephrology) के पद पर एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी का आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा मेडिकल कॉलेज, उदयपुर में स्थानान्तरण किया गया है। उक्त आदेश की अनुपालना में कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 08.06.2024 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि आलोच्य आदेश बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये पारित किया गया है, क्योंकि अपीलार्थी को पातेय वेतन पर सह आचार्य दर्शाया गया है, जबकि अपीलार्थी पातेय वेतन पर कार्यरत नहीं है। अपीलार्थी की नियमित पदोन्नति सह आचार्य के पद पर हो चुकी है। अपीलार्थी को पातेय वेतन पर होना मानते हुए स्थानान्तरित किया गया है, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा है कि वर्तमान स्थान जहां पर अपीलार्थी कार्यरत है, वहां पर पद रिक्त है और अपीलार्थी के स्थान पर अन्य किसी व्यक्ति को स्थानान्तरित भी नहीं किया गया है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया जाना उचित नहीं है।

4. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

5. अपीलार्थी का पद आलोच्य आदेश में सह आचार्य अंकित किया गया है और अपीलार्थी को जहां पदस्थापित किया गया है, वह भी सह आचार्य के पद पर ही स्थानान्तरित किया गया है। ऐसे में अपीलार्थी को केवल मात्र पातेय वेतन दर्शाये जाने में आलोच्य आदेश को विधि विरूद्ध होना नहीं माना जा सकता है। नियोक्ता को यह अधिकार है कि वह अपने विवेक से यह निर्णय ले सकता है कि वह किस कार्मिक की सेवाए किस स्थान पर प्राप्त करें। उक्त निर्णय में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता जब तक वह निर्णय दुर्भावनापूर्वक एवं विधि विरूद्ध तरीके से पारित किया गया हो। प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with a transfer Order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer Orders are made in violation of any mandatory statutory Rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer Orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights. Even if a transfer Order is passed in violation of executive instructions or Orders, the Courts ordinarily should not interfere with the Order instead affected party should approach the higher authorities in the Department. If the Courts continue to interfere with day-to-day transfer Orders issued by the Government and its subordinate authorities, there will be complete chaos in the Administration which would not be conducive to public interest."*

6. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)